166

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
<u>अधिसूचना</u>

संख्या–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–21/2016 405 न०वि० एवं आ०वि०, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9 सह–पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद् द्वारा बिहारशरीफ शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षो अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे "बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र" कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं : –

उत्तर – पूर्वी भाग में रहुई सी०डी० ब्लॉक के ईमामगंज, सिंकन्दरपुरा– दिगपुरा, मोरातलाव एवं मुशेपुर से होते हुए नुरसराय सी०डी० ब्लॉक के ईब्राहिमपुर लोहरी, दुईया क्षेत्र तक।

दक्षिण – पूर्वी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के रोजेवदारे आलम, कमरपुर, पहाड़पुर, कोसुक से होते हुए लकरनवन और पछौरी तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के बसमनबिगहा, चैनपुरा, बरियारपुर और कल्यानपुर क्षेत्र तक।

पश्चिम– उत्तरी भाग में नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के ककहरा, मन्दाछ, से होते हुए बिहार सी०डी० ब्लॉक के बियाबानी और मघरा तक।

इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल–58.23 वर्ग कि०मी० है, जिसमें बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त बिहार, रहुई एवं नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के क्षेत्र शामिल हैं। इस आयोजना क्षेत्र में 37.91 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 20.32 वर्ग कि०मी० शहरी क्षेत्र है।

इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के भीतर शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची अनुसूची–II एवं इस आयोजना क्षेत्र के अधीन शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरण अनूसूची–III के रूप में संलग्न है।

विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि का अवधारण एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

17/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक –11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–21/2016 405/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–18/5/17

प्रतिलिपि –अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

165

ज्ञापांक —11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)—21/2016...405.../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक—18/5/17

प्रतिलिपि --मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के सदस्य/ प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी बिहारशरीफ/नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि०/ सभी संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

164

Government of Bihar

Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No. 11/नगविगमा०प्लान(आ०क्षे०)–21/2016.....406........, UD&HD, in exercise of the powers conferred by Section-9 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-9 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar, with the objective of integrated and planned development of Biharsharif Town and important areas surrounding it, declares the following Planning Area, for the purpose of preparing Master Plan of Biharsharif for a period of 20 years or more, which will be called as "Biharsharif Planning Area". Its local boundaries are as follows -

North - In the eastern part from Imamganj, Sikandarpura Digpura, Moratalao, Musepur of Rahui CD Block, Ibrahimpur, Lohri of Noorsarai CD Block upto Doia in the western part;

South - In the eastern part from Rauza Badaralam, Kamarpur Paharpur, Kasuk, Lakranwan of Bihar CD Block upto Pachauri in the western part;

East - In the northern part from Basman Bigha, Chanpura, Bariyarpur of Bihar CD Block upto Kaleanpur in the southern part;

West- In the northern part from Kakhra, Mandachh of Noorsarai CD Block, Baibani of Bihar CD Block upto Maghra in the southern part.

The total area of Biharsharif Planning Area is 58.23sq.km, in which areas of Bihar, Rahui and Noorsarai CD Blocks have been included besides Biharsharif Municipal Corporation area. In this Planning Area 37.91sq.km is rural area and the rest 20.31sq.km is urban area.

Map of this Planning Area as Appendix-I, List of Administrative Units and Revenue Villages as Appendix-II, names and population details of Urban Administrative Unit and Revenue Villages falling under this Planning Area as Appendix-III are appended to this notification.

Keeping in view the probability of modification and changes in the area of administrative units and planning area during preparation of the development plan, the Urban Development and Housing Department shall be the competent authority to modify and change the area upto ten percent of the total area of this planning area, declaration of peripheral area to this planning area, constitution of planning authority, determination of period of development plan and other lawful action.

By the order of Governor,

17/5/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

ज्ञापांक –11/नगविगमा०प्लान(आ०क्षे०)–21/2016 406 नगवि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–18/5/17

Copy to - Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.
He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use immediately.

17/5/2017

Principal Secretary

163

ज्ञापांक –11/न०वि०मा०प्लान(आ०क्षे०)–21/2016 406 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 18/5/17

Copy to –Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner Bihar/Members of the Bihar Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Patna/ District Magistrate, Nalanda/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation Biharsharif/ P.S Hon'ble Minister, UD&HD/ Circle officers of the concerned area for kind information and necessary action.

17/5/2017

Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

मंत्रिपरिषद के लिए संलेख

गोपनीय
मुहरबंद

विषय– **"बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र"** की घोषणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बिहारशरीफ, नालन्दा जिला का प्रशासनिक मुख्यालय शहर है। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल है। बिहारशरीफ शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहार आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा आयोजना क्षेत्र की घोषणा किया जाना है, जिसे "बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र" कहा जा सकेगा।

2. बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर आमजनों एवं हितधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। वर्णित दिशा निदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी बिहारशरीफ द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव को उपलब्ध कराया गया, जिसपर दिनांक–24.01.2017 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पंचम बैठक में विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

3. इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल–58.23 वर्ग कि०मी० है, जिसमें बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त बिहार, रहुई एवं नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के क्षेत्र शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र में 37.91 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 20.32 वर्ग कि०मी० शहरी क्षेत्र है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है –

उत्तर – पूर्वी भाग में रहुई सी०डी० ब्लॉक के ईमामगंज, सिंकन्दरपुरा– दिगपुरा, मोरातलाव एवं मुशेपुर से होते हुए नुरसराय सी०डी० ब्लॉक के ईब्राहिमपुर लोहरी, दुईया क्षेत्र तक।

दक्षिण –पूर्वी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के रोजेवदारे आलम, कमरपुर, पहाड़पुर, कोसुक से होते हुए लकरनवन और पछौरी तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के बसमनबिगहा, चैनपुरा, बरियारपुर और कल्यानपुर क्षेत्र तक।

पश्चिम–उत्तरी भाग में नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के ककहरा, मन्दाछ, से होते हुए बिहार सी०डी० ब्लॉक के बियाबानी और मघरा तक।

4. इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची–II, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी अनुसूची–III के रूप में संलग्न है।

5. आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन एवं आयोजना क्षेत्र का विकास योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया जाएगा।

6. विकास योजना की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के निर्धारण एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

7. प्रस्ताव है कि कंडिका–3 से 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय।

8. इस आयोजना क्षेत्र की सीमांकन एवं घोषणा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति प्राप्त है।

9. संलेख प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

11. उपरोक्त कंडिका–7 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

9/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक –11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)–21 / 2016...370... न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–11/5/17

प्रतिलिपि–संलेख की 45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक की कार्यावली में शामिल करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

अनुसूची-I

(139)

PROPOSAL FOR BIHARSHARIF PLANNING AREA

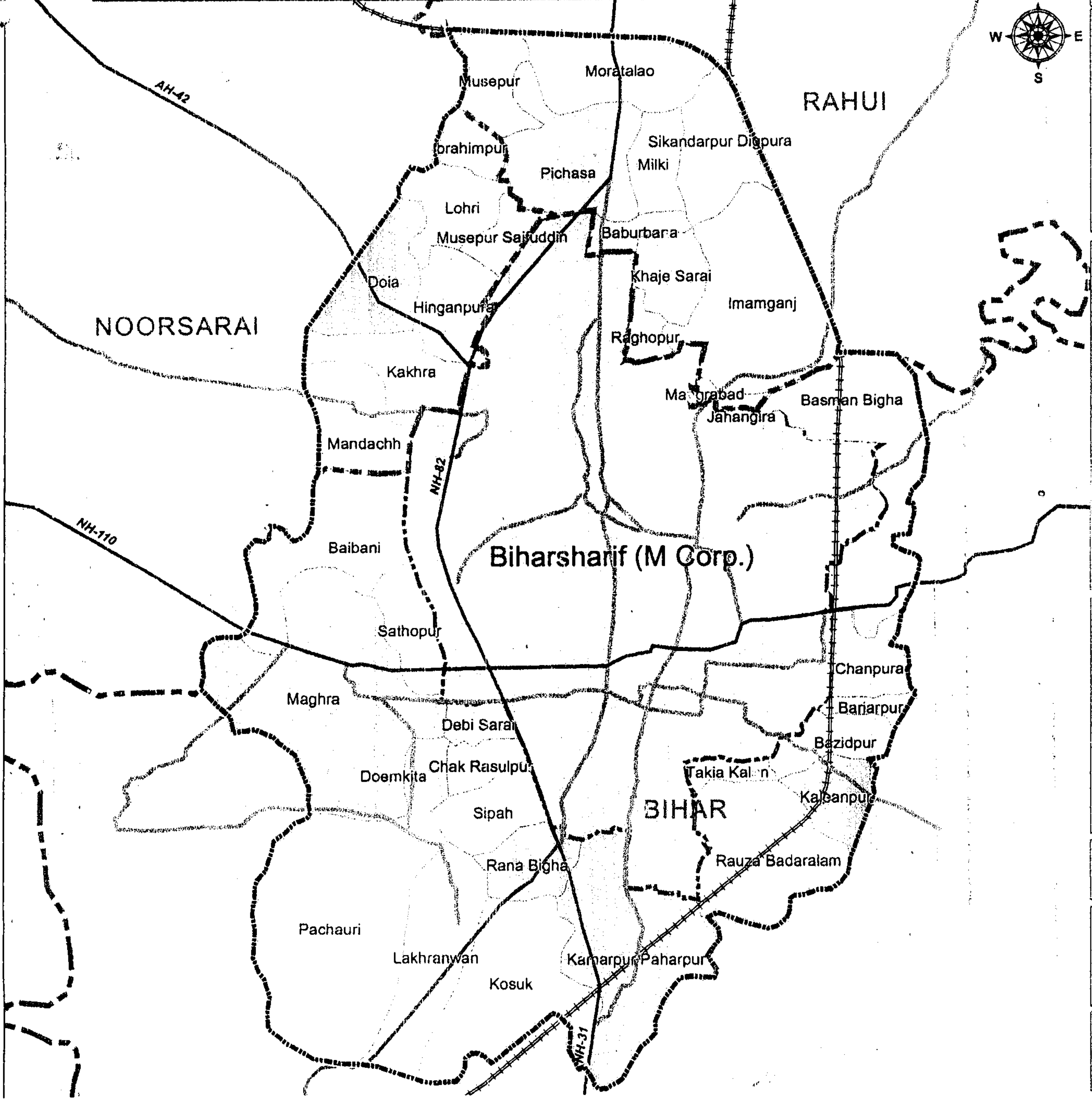

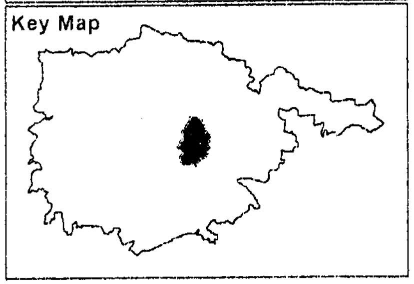

Legend

- District Boundary
- Block Boundary
- Biharsharif Planning Area
- Major Roads
- Other Roads
- Railway Track

Brief Profile:

Municipal Corporation Area: 20.32sq.km
Biharsharif Planning Area: 58.23sq.km
Total Population: 385295
(as per Census 2011)
Urban Centres: 1
Villages: 37
Census Towns: 0

Constituent Areas

Scale 1:45,000

0 0.75 1.5 3 Kms

Prepared by:
Town & Country Planning Organisation
UD&HD, Bihar

अनुसूची–II

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण

Biharsharif Planning Area:

C. D. Blocks	No. of Revenue Villages	Rural Area (sq.km)	No. of Urban Administrative Units	Urban Area (sq.km)	Total Area (sq.km)
Bihar	19	24.06	1	20.32	44.38
Noorsarai	7	5.08	-	-	5.08
Rahui	11	8.77	-	-	8.77
Total for the Planning Area	37	37.91	1	20.32	58.23

अनुसूची–III

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी

Sl No.	Block	Name	Area (sq.km)	Population_2011
1	**Bihar**	**Biharsharif (M Corp.)**	**20.32**	**297268**
2	Bihar	Pachauri	3.69	5902
3	Bihar	Lakhranwan	1.51	1145
4	Bihar	Sipah	0.68	2213
5	Bihar	Rana Bigha	0.64	3149
6	Bihar	Kosuk	2.03	2644
7	Bihar	Kamarpur Paharpur	2.38	2956
8	Bihar	Rauza Badaralam	1.79	4133
9	Bihar	Takia Kalan	0.22	2142
10	Bihar	Kaleanpur	0.60	1384
11	Bihar	Chanpura	0.60	2498
12	Bihar	Bazidpur	0.55	631
13	Bihar	Bariarpur	0.18	0
14	Bihar	Chak Rasulpur	0.34	969
15	Bihar	Debi Sarai	0.28	249
16	Bihar	Maghra	3.73	11189
17	Bihar	Sathopur	0.63	1952
18	Bihar	Baibani	1.65	4352
19	Bihar	Basman Bigha	2.24	2321
20	Bihar	Doemkita	0.32	0
Sub Total			***44.38***	***347097***
21	Noorsarai	Ibrahimpur	0.37	809
22	Noorsarai	Mandachh	0.99	1650
23	Noorsarai	Kakhra	0.88	1362
24	Noorsarai	Doia	0.99	5647
25	Noorsarai	Hinganpura	0.79	1791
26	Noorsarai	Lohri	0.72	1279
27	Noorsarai	Musepur Saifuddin	0.35	0
Sub Total			***5.08***	***12538***
28	Rahui	Moratalao	1.32	5890
29	Rahui	Pichasa	1.54	2815
30	Rahui	Musepur	0.66	2837
31	Rahui	Milki	0.52	1645
32	Rahui	Sikandarpur Digpura	0.99	3939
33	Rahui	Baburbana	0.30	0
34	Rahui	Khaje Sarai	0.60	1567
35	Rahui	Raghopur	0.24	214
36	Rahui	Imamganj	2.47	6749
37	Rahui	Mangrabad	0.06	4
38	Rahui	Jahangira	0.07	0
Sub Total			***8.77***	***25660***
Total Rural Area			**37.91**	**88027**
Total Urban Area			**20.32**	**297268**
Biharsharif Planning Area (37 Villages, 1 ULB)			**58.23**	**385295**

(135)

कार्यसूची–5/4

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति।

कार्यसूची की विवरणी –

(1) बिहारशरीफ, जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक जिलों में से एक है।

(2) बिहारशरीफ शहर एवं इसके आस–पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। तदोपरान्त जिलाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–876, दिनांक–04.07.2016 द्वारा भेजे गये बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के प्रस्ताव पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति हेतु विचार किया जाना है।

(3) इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल–58.23 वर्ग कि०मी० है, जिसमें बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र ~~के अतिरिक्त~~ बिहार, रहुई एवं नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के क्षेत्र शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र में 37.91 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 20.32 वर्ग कि०मी० शहरी क्षेत्र है। ~~इस~~ आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है –

उत्तर – पूर्वी भाग में रहुई सी०डी० ब्लॉक के ईमामगंज, सिंकन्दरपुरा– दिगपुरा, मोरातलाव एवं मुशेपुर से होते हुए नुरसराय सी०डी० ब्लॉक के ईब्राहिमपुर लोहरी, दुईया क्षेत्र तक।

दक्षिण –पूर्वी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के रोजेवदारे आलम, कमरपुर, पहाड़पुर, कोसुक से होते हुए लकरनवन और पछौरी तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के बसमनबिगहा, चैनपुरा, बरियारपुर और कल्यानपुर क्षेत्र तक।

पश्चिम–उत्तरी भाग में नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के ककहरा, मन्दाछ, से होते हुए बिहार सी०डी० ब्लॉक के बियाबानी और मघरा तक।

क्र०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
02	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
03	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
	कुल	**37**	**37.91**	**1**	**20.32**	**58.23**

(4) इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्द ग्रामों का विवरण अनुसूची–II, एव आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों तथा उसके अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची (नाम, आबादी एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरणी अनुसूची–III, के रूप में संलग्न है।

(5) विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक ईकाइयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना

क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेर–बदल करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

(6) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–11 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन, नियमावली के नियम–11 के तहत् इस आयोजना क्षेत्र का विकास योजना, तैयार किया जा सकेगा।

(7) प्रस्ताव है कि उपर्युक्त के संदर्भ में प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु अनुशंसा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के तहत् बोर्ड की सहमति प्रार्थित है।

(8) बोर्ड की सहमति के उपरान्त बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

165

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड के पँचम बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – अनुलग्नक के अनुसार।

विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए निर्धारित कार्यावली प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(2). प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सदस्यों को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के अधीन आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया गया।

(3). बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णय एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में जारी दिशा निदेश के आलोक में पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्र के सीमांकन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया से विकास आयुक्त को अवगत कराया गया।

(4). बैठक में गया, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं सहरसा का आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर विचार विमर्श किया गया।

(5). पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्रों के सीमांकन के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में वित्त आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वृहत्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार किया जाए। उसके द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के क्रम में जिलापदाधिकारी के कार्यालय को Technical Support दिए जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। प्रधान सचिव नगर विकास द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के लिए विभाग द्वारा दिशा–निदेश जारी किए गए थे। विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया। जिला पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर इसे अन्तिम रूप देकर जिला पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आम–जनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर इसे निष्पादित कर जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारूप विभाग को भेजा गया है, जिसपर इस बैठक में विचार किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

(6). प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा मुज्जफरपुर आयोजना क्षेत्र के density Mapping पर विचार विमर्श किया गया एवं पृच्छा गयी कि एक राजस्व गाँव के पुरे क्षेत्र अथवा इसके आंशिक भाग को शामिल किया गया है ? इस संबंध में बताया गया कि राजस्व गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र को आयोजना क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(7). विकास आयुक्त द्वारा किये गये पृच्छा के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया एवं आमजनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को निष्पादित कर

विभाग द्वारा जारी दिशा निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रारूप अग्रेत्तर कारवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया।

(8). इस तरह की प्रक्रिया के अनुपालन की सूचना मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि एवं सहरसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी दिया गया। गया आयोजना क्षेत्र में प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण के दौरान विकास आयुक्त इसे औचित्यपूर्ण वताया गया।

(9). (i) **गया आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	गया टाउन	77	131.43	1	50.17	181.6
02	बेलागंज	8	13.68	0	0	13.68
03	मानपुर	49	72.47	0	0	72.47
04	परैया	4	5.4	0	0	5.4
05	बोधगया	24	35.16	0	0	35.16
	कुल	**162**	**258.14**	**1**	**50.17**	**308.31**

(ii) **आरा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	आरा	34	61.69	1	30.87	92.56
02	कोइलवर	17	45.08	1	5.32	50.4
03	उदवन्तनगर	17	31.66	0	0	31.66
	कुल	**68**	**138.43**	**2**	**36.19**	**174.62**

(iii) **मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
02	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
03	मड़वन	23	16.89	0	0	16.89
04	कुड़हनी	18	25.25	0	0	25.25
05	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
06	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
	कुल	**216**	**218.63**	**2**	**47.08**	**265.71**

(iv) **बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
02	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
03	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
	कुल	**37**	**37.91**	**1**	**20.32**	**58.23**

(v) **सहरसा आयोजना क्षेत्र** के घटक निम्न है –

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक / प्रशासनिक इकाई	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	सहरसा	0	0	1	35.89	35.89
02	सत्तर कटैया	21	50.02	0	0	50.02
03	कहरा	34	104.77	0	0	104.77
C4	सौर बाजार	24	103.51	0	0	103.51
	कुल	**79**	**258.3**	**1**	**35.89**	**294.19**

(10). पाँचों शहरों यथा गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/1), आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/2), मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/3), बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/4) एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/5) पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(11). सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाँचों शहरों की सीमांकन एवं घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–
(शिशिर सिंहा)
विकास आयुक्त, बिहार
सह–अध्यक्ष
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

ह०/–
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
सह–सदस्य सचिव
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014.....91..........न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक–9/2/1

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव–कृषि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–उद्योग विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पंचायती राज / प्रधान सचिव / सचिव–ग्रामीण विकास विभाग/ प्रधान सचिव/ सचिव–वित्त विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / सचिव/ सचिव–शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यावरण और वन प्रधान सचिव / सचिव–जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–भवन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–लोक निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव/ सचिव–परिवहन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–विधि स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–आपदा प्रबन्धन विभाग / सचिव–विधि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यटन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–युवा कला एवं संस्कृति विभाग / प्रधान सचिव/ सचिव–ग्रामीण कार्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग / सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ / महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी / मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / जिलाधिकारी, गया / आरा /

(162)

मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / सहरसा / नगर आयुक्त, नगर निगम गया / आरा / मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा को बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014......91/-.......न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक–9/2/17

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

दिनांक–24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के पंचम बैठक की कार्यावली –

क्र० सं०	कार्य सूची
5/1	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/2	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/3	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/4	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/5	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/6	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014.......44.......न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक–23/1/17

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव–कृषि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पंचायती राज/प्रधान सचिव/सचिव–उद्योग विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–वित्त विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पर्यावरण और वन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–परिवहन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–आपदा प्रबन्धन विभाग/सचिव–विधि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पर्यटन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–युवा कला एवं संस्कृति विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग/सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ/महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी/मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा/जिलाधिकारी, गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/सहरसा द्वारा नामित पदाधिकारी को बोर्ड के बैठक में विचारण हेतु कार्यावली की प्रति अनुलग्नकों सहित उपलब्ध करायी जा रही है।

विश्वासभाजन,

23/1/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव–नगर विकास एवं आवास विभाग
–सह–सदस्य सचिव,
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड,
बिहार, पटना।